

 सत्यमेव जयते	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
	साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
	वैशाख 09, बुधवार, शाके 1948- अप्रेल 29, 2026 Vaisakha 09, Wednesday, Saka 1948- April 29, 2026	

भाग-1(ख)

महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें।

वन विभाग

विज्ञप्ति

जयपुर, जनवरी 08, 2026

क्रम संख्या:- प. 2(20) वन/2025 :-चूँकि इसके साथ संलग्न प्रथम अनुसूची में बतलाई गई वन भूमि अथवा बंजर भूमि सरकार की संपत्ति है या उसमें सरकार स्वामित्वाधिकार रखती है अथवा सरकार उसकी सम्पूर्ण वन उपज या उसके किसी भाग की हकदार है।

और चूँकि सरकार पूर्वोक्त वन भूमि तथा बंजर भूमि को राजस्थान फोरेस्ट एक्ट, 1953 की धारा 29 उप धारा (1)के अधीन रक्षित वन (Protected Forest)घोषित करने का विचार रखती है।

और चूँकि पूर्वोक्त भूमि में अथवा उस पर सरकार और प्राईवेट व्यक्तियों के अधिकारों के प्रकार और सीमा का अभी तक किसी प्रकार अभिलेखन नहीं किया गया है।

और चूँकि सरकार यह भी सोचती है कि पूर्वोक्त वन भूमि अथवा बंजर भूमि में अथवा उन पर सरकार अथवा प्राईवेट व्यक्तियों के अधिकारों के प्रकार और सीमा के विषय में जांच करवाना ओर उनका अभिलेखन कराया जाना आवश्यक है, परन्तु इस कार्य में इतना अधिक समय लग जावेगा कि जिस के बीच में सरकार के अधिकारों को क्षति पहुंचने की आशंका है।

इसलिए अब राजस्थान फोरेस्ट एक्ट, 1953 (1953 की एक्ट संख्या 3)की धारा 29 की उप धारा (3) के प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सरकार इसके द्वारा फोरेस्ट सेटलमेंट आफिसर/असिस्टेंट अधिकारों को पूर्वोक्त वन भूमि अथवा बंजर भूमि में अथवा उन पर सरकार अथवा प्राईवेट व्यक्तियों के अधिकारों की जांच तथा अभिलेखन करने के लिए नियुक्त करती है और ऐसी जांच व अभिलेखन जहां तक व्यवहार्य हो उपर्युक्त अधिनियम की धारा 6, 7, 8, 9, 10, 11(1), 12, 14, 17, 18, तथा 19 में प्रवाहित विधि के अनुसार ही किया जायेगा।

और उक्त एक्ट की धारा 29 की उप धारा (3) में परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अग्रेतर अनुसार में राजस्थान सरकार उक्त जांच तथा अभिलेख सम्पादित होने तक एतद् द्वारा कथित उक्त वन भूमि और बंजर भूमि को इस विज्ञप्ति द्वारा रक्षित वन (Protected Forest) घोषित करती है, परन्तु इससे किसी व्यक्ति या वर्ग विशेष के वर्तमान अधिकारों में किसी प्रकार की कमी नहीं आयेगी और न उन पर कोई प्रभाव पड़ेगा।

और सरकार उक्त एक्ट की धारा 30 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अग्रेतर अनुसरण में यह भी घोषणा करती है कि इसके साथ संलग्न द्वितीय अनुसूची में दिखाये गये कथित रक्षित वन में स्थित वृक्ष इस विज्ञप्ति के राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से आरखित किये जाते हैं और पूर्वोक्त तारीख से कथित वन में किसी खदान से पत्थर निकालना या चूना या कोयला जलाना या किसी वन उपज का संग्रह किया जाना या किसी निर्माण प्रक्रिया या साधन बनाया जाना और कथित वन में किसी भूमि

को कृषि के लिए या मकान बनाने के लिए या पशुपालन के लिए अथवा किसी अन्य प्रयोजन के लिए तोड़ा जाना साफ किया जाना निषिद्ध करती है।

प्रथम अनुसूचि (वन भूमि और बंजर भूमि)

द्वितीय अनुसूचि (आरक्षित वृक्ष)

राज्यपाल की आज्ञा से,

बीजो जाँय,

विशिष्ट शासन सचिव, वन।

प्रथम अनुसूची

क्र. सं.	नाम ब्लॉक	नाम तहसील	नाम जिला	सीमा	ग्राम का नाम	विवरण				
1	2	3	4	5	6	7				
1	3 एस एम	पूगल	बीकानेर	उत्तर:- काश्तकार मु.न.179/16 दक्षिण:-काश्तकार मु.न. 179/10 पूर्व:-काश्तकार मु.न. 179/16, 180/17,18 पश्चिम:-नहर मु.न. 179/16 के किला न 21,22,23 में रास्ता है।	3 एस एम पार्ट ब	क्र. सं.	प. न./ मु. न.	भूमि कि. न. /ख.न	विवरण रकबा (बीघा- बिस्वा में)	भूमि किस्म
						1	179/8	15/1	0-03	
								16/1	0-09	
								24/1	0-04	
								25/2	0-19	
								योग	1-15	
							179/16	18 ता 20	3-00	
								21/2	0-18	
								22/1	0-18	
								23/1	0-18	
								योग	5-14	
							180/1	4/2	0-15	
								5 ता 6	2-00	
								7/1	0-09	
								14/1	0-04	
								15/1	0-19	
								16/1	0-17	
								25/2	0-11	
								योग	5-15	
							180/2	5/2	0-06	

							योग	0-06	
						180/9	1 ता 3	3-00	
							8 ता15	8-00	
							18ता2 3	6-00	
							योग	17-00	
						180/10	1 ता 9	9-00	
							10/1	0-19	
							11/2	0-16	
							12ता1 9	8-00	
							20/1	0-11	
							योग	19-06	
							पार्ट ब का योग	49-16	
					3 एस एम पार्ट अ	2	179/15	5/2	0-11
								6/2	0-15
								14/2	0-04
								15/1	0-19
								16	1-00
								17/1	0-18
								18/1	0-03
								23/2	0-16
								24 ता 25	2-00
								योग	7-06
								2/1	0-14
								3 ता 5	3-00
								योग	3-14
								1/2	0-18
								2/2	0-14
								3/2	0-02
								7/2	0-06
								8/2	0-18
								9 ता 14	6-00
								15/2	0-16
								16 ता 25	10-00

						योग	19-14	
						1 ता 9	9-00	
						योग	9-00	
						11/2	0-03	
						18/2	0-02	
						19/1	0-11	
						20/1	0-17	
						21/2	0-18	
						22	1-00	
						23/2	0-18	
						योग	4-09	
						1/2	0-18	
						2 ता 4	3-00	
						7 ता 9	3-00	
						10/1	0-18	
						12 ता 14	3-00	
						योग	10-16	
						पार्ट अ का योग	54-19	
						3 एस एम तथा ब का महायोग =	104-15 बीघा 26.494 हैक्टेयर	

श्यामसिंह भाटी,
क्षेत्रीय वन अधिकारी,
इकाई प्रथम 682 आरडी।

बलराम शर्मा,
उप वन संरक्षक,
इंगानप स्टेज-II बीकानेर।

द्वितीय अनुसूची
आरक्षित वृक्ष

S.No.	Botanical Name	Hindi Name
1	<i>Azadirachta indica, A.juss</i>	नीम
2	<i>Acacia arubica willd</i>	बबूल
3	<i>Acacia jaquemontil</i>	बोवली
4	<i>CordiaMyxa, Linn</i>	लसौडा
5	<i>Cordia rothi</i>	गूदी

6	<i>Calligonum polygonoides</i>	फोग
7	<i>Calotropis procera R.Sr.</i>	आक
8	<i>Cassia fistula, Linn</i>	अमलतास
9	<i>Capparis decidua</i>	केर
10	<i>Dalbergis sissoo, Roxb</i>	शीशम
11	<i>Encalyptus spp</i>	सफेदा
12	<i>Ficus religiosa, Linn</i>	पीपल
13	<i>Ficus bengalensis Linn</i>	बड
14	<i>Leptadenia Reticulata Wight & Ar</i>	खीप
15	<i>Morus alba, Linn</i>	शहतूत
16	<i>Ricinus communis</i>	अरण्ड
17	<i>Prosopis spiciigera</i>	खेजडा
18	<i>Prosopis cineraria</i>	खेजडी
19	<i>prosopis juliflora</i>	विलायती बबूल
20	<i>Salvadora oligoides</i>	पीलू
21	<i>Salvadora persica</i>	जाल
22	<i>Saccharum munja</i>	मूँजा घास
23	<i>Acacia Tortalis</i>	इजराईल बबूल
24	<i>Tecomella undulata</i>	रोहिड़ा
25	<i>Zizyphus jujuba Lam</i>	बेर
26	<i>zizyphus xylopyra willd</i>	घोट
27	<i>Zizyphus nummularia</i>	झड़ बेर

श्यामसिंह भाटी,
क्षेत्रीय वन अधिकारी,
इकाई प्रथम 682 आरडी।

बलराम शर्मा,
उप वन संरक्षक,
इंगानप स्टेज-II बीकानेर।

परिशिष्ट "क"

प्रारम्भिक विज्ञप्ति के प्रस्ताव के साथ उप वन संरक्षक द्वारा प्रमाण - पत्र
(जो लागू नहीं होता है उसे काट दें)

नाम वन खण्ड/चक – 3 एस एम

रेन्ज – इकाई प्रथम 682 आरडी

नाम तहसील - पूगल

नाम वन मण्डल - उप वन संरक्षक, स्टेज-II, बीकानेर

1. संलग्न प्रारूप में दशाई गई भूमि का वर्गीकरण गैर कृषिपायती है। जिसे विज्ञप्ति के कॉलम 7 में विस्तृत से खसरा नम्बरों का विवरण दर्शाया गया है।
2. वर्तमान में उपनिवेशन लेखों में वन विभाग के नाम दर्ज है तथा मौके पर विभाग द्वारा कुछ क्षेत्रों में एस.बी.पी. का कार्य करवाया गया है इनमें कोई अतिक्रमण अथवा खनन कार्य नहीं हो रहा है।
3. वर्तमान में कुछ क्षेत्र में सी.एस.पी. वृक्षारोपण का कार्य 1994-95 करवाया गया है इनमें कोई खनन कार्य नहीं हुए है भविष्य में कुछ क्षेत्रों में भी विकास कार्य करवाये जाने की सम्भावना है।
4. भूमि पर वृक्षों का घनत्व लगभग 48 प्रतिशत है इस वन खण्ड में प्रमुख प्रजातिया बैर, खेजडी, टोर्टलिस का लगभग 48 प्रतिशत है।
5. समीपवर्ती स्थित क्षेत्र काश्तकारों, अराजीराज, सडक का है चारों ओर की सीमाओं का विस्तृत उल्लेख कॉलम संख्या 9 में कर दिया गया है।
6. वनखण्डों में वाच्छित मानचित्र (नक्शों) संलग्न है एवं विज्ञप्ति में दिखाई गई दिशाओं सीमाओं एवं स्थिति के अनुरूप है प्रस्तावित वन क्षेत्रों में सीमा को नक्शे में लाल स्याही से इंगित किया गया है।
7. प्रस्तावित क्षेत्रों में विज्ञप्तियों के प्रारूप यथा विधी पूर्व में नहीं भेजने के कई कारण रहे हैं। किन्तु अब उल्लेखित वन क्षेत्रों के कानूनी स्वरूप देने हेतु प्रचलित नियमों के अनुरूप शासकीय गजट में प्रकाशन होना नितान्त आवश्यक है। जिससे कि इन भूमियों पर वन विभाग का साक्ष्य सिद्ध हो सके।
8. उक्त भूमि का पूर्व में राजपत्र में प्रकाशन नहीं हुआ है।

श्यामसिंह भाटी,
क्षेत्रीय वन अधिकारी,
इकाई प्रथम 682 आरडी।

बलराम शर्मा,
उप वन संरक्षक,
इंगानप स्टेज-II बीकानेर।